



परिवार और बच्चों की सेवाओं का प्रभाग

पूरक पोषण सहायता प्रोग्राम
(SNAP)

जॉर्जिया में

जॉर्जिया में पूरक पोषण सहायता प्रोग्राम (SNAP)

अगर आपको इस दस्तावेज़ को पढ़ने या पूरा करने में मदद की आवश्यकता है या हमसे संचार करने के लिए सहायता चाहिए, तो हमसे पूछें या **1-877-423-4746** पर कॉल करें। दुभाषिये की सेवा सहित हमारी सेवाएँ मुफ्त दी जाती हैं। अगर आप बहरे हैं, कम सुनई पड़ता है, अंधे हैं या बोलने में कठिनाई होती है, तो आप **711** (जॉर्जिया रिले) डायल करके उपरोक्त नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं।

पूरक पोषण सहायता प्रोग्राम (SNAP) क्या है?

पूरक पोषण सहायता प्रोग्राम (SNAP), जिसे पहले फूड स्टैम्प्स प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, संघीय वित्तपोषित प्रोग्राम है जो कम आय वाले परिवारों को भोजन की लागत का भुगतान करने में मदद करने के लिए मासिक लाभ प्रदान करता है। SNAP उन प्राप्तकर्ताओं को रोज़गार और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है जो SNAP रोज़गार और प्रशिक्षण (E&T) प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं। यह प्रोग्राम निम्न आय वाले परिवारों को स्वस्थ आहार और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए पोषण संबंधी शिक्षा भी प्रदान करता है। SNAP आउटरीच गतिविधियाँ सामुदायिक साझेदार एजेंसियों और स्थानीय सामुदायिक खाद्य बैंकों के जरिए प्रदान की जाती हैं।

एक परिवार क्या होता है?

परिवार में एक अकेला रहने वाला व्यक्ति, एक परिवार या कई असंबंधित व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो एक साथ रहते हैं और नियमित रूप से एक साथ भोजन खरीदते और पकाते हैं। कुछ परिवार के सदस्य या व्यक्ति जो एक साथ रहते हैं और नियमित रूप से एक साथ भोजन नहीं खरीदते और पकाते हैं, उन्हें परिवार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन व्यक्तियों के लिए, सामाजिक सुरक्षा संख्या, आव्रजन स्थिति और नागरिकता संबंधी जानकारी केसवर्कर को उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है। किसी व्यक्ति को परिवार में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय संघीय नियमों पर आधारित होता है।

SNAP लाभों के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति SNAP लाभों के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रोग्राम उन परिवारों की मदद करता है जिनकी आय और संसाधन सीमित हैं। इसमें अस्थायी संकट का सामना कर रहे परिवारों के साथ-साथ वे परिवार भी शामिल हैं जिनकी आय गरीबी स्तर पर या उससे नीचे है।

अधिकृत प्रतिनिधि कौन होता है?

अधिकृत प्रतिनिधि वह व्यक्ति होता है जिसे आपका परिवार आपके परिवार की ओर से SNAP लाभों के लिए आवेदन करने, उन्हें प्राप्त करने और/या उनका उपयोग करने की अनुमति देता है, क्योंकि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं।

आप कहाँ आवेदन कर सकते हैं?

प्रत्येक काउंटी में परिवार एवं बाल सेवाओं के विभाग (DFCS) का एक कार्यालय होता है। यह विभाग SNAP लाभों के लिए आवेदन स्वीकार करता है।

जॉर्जिया DFCS कार्यालयों का पता और टेलीफ़ोन नंबर जॉर्जिया के परिवार एवं बाल सेवाओं के प्रभाग (DFCS) की वेबसाइट www.dfcs.georgia.gov/locations पर देखा जा सकता है।

आप कब आवेदन कर सकते हैं?

परिवार एवं बाल सेवाओं के विभाग के अधिकांश कार्यालय सप्ताहांत और छुट्टियों वाले दिनों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहते हैं। हालांकि, कार्यालय के दिन और समय स्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। संचालन के दिन और घंटे www.dfcs.georgia.gov/locations पर जाकर तथा अपने क्षेत्र में कार्यालय का चयन करके ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जॉर्जिया गेटवे की वेबसाइट www.gateway.ga.gov पर उपलब्ध हैं।

आप लाभों के लिए आवेदन कैसे करते हैं?

लाभों के लिए आवेदन करने हेतु, परिवार का मुखिया, परिवार का कोई सदस्य, या परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अधिकृत व्यक्ति कागजी आवेदन भर सकता है, ऑनलाइन या फ़ोन द्वारा आवेदन कर सकता है। कागजी आवेदन-पत्र आपके स्थानीय DFCS कार्यालय से, DFCS वेबसाइट से, या ग्राहक संपर्क केंद्र पर 1-877-423-4746 पर कॉल करके प्राप्त किया जा सकता है, ताकि आवेदन-पत्र आपके घर के पते पर डाक से भेजा जा सके। आप टेलीफ़ोन द्वारा आवेदन करने के लिए ग्राहक संपर्क केंद्र पर भी कॉल कर सकते हैं।

आप वेबसाइट www.dfcs.georgia.gov/snap-food-stamps पर उपलब्ध खाली आवेदन-पत्र की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म पूरा भरें, डाक से भेजें, फ़ैक्स करें या अपने स्थानीय काउंटी कार्यालय में ले जाएँ।

आप लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं?

आप गेटवे वेबसाइट <https://gateway.ga.gov/access/> के जरिए SNAP लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जो आवेदक ऑनलाइन खाता बनाते हैं, वे अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं और गेटवे प्री-स्क्रीनिंग टूल के जरिए अन्य DHS प्रोग्रामों के लिए अपनी पात्रता की भी जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, गेटवे SNAP प्राप्तकर्ताओं को घरेलू परिस्थितियों में परिवर्तन की रिपोर्ट करने और अपने लाभों को ऑनलाइन नवीनीकृत करने की अनुमति देता है।

आवेदन-पत्र कब दायर किया गया माना जाता है?

किसी आवेदन-पत्र को तब दायर किया गया माना जाता है जब उस पर परिवार के मुखिया का नाम, पता, तारीख और परिवार के मुखिया, किसी अन्य सदस्य या अधिकृत प्रतिनिधि (AREP) के हस्ताक्षर मौजूद हों तथा वह स्थानीय काउंटी कार्यालय द्वारा प्राप्त हो जाए। आप अपने स्थानीय काउंटी के परिवार एवं बाल सेवाओं के विभाग में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी परिवार एवं बाल सेवाओं का विभाग आपका आवेदन स्वीकार कर सकता

है। आपको संपूर्ण आवेदन-पत्र भरने का प्रयास करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना टेलीफ़ोन नंबर और/या पता दें ताकि DFCS आपसे फ़ोन पर संपर्क कर सके।

आवेदन-पत्र दायर होने के बाद क्या होगा?

आपको, आपके परिवार के किसी सदस्य, या आपके परिवार के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति, अधिकृत प्रतिनिधि का, DFCS के एक केसवर्कर द्वारा इंटरव्यू लिया जाना ज़रूरी है। जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है उसे आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में पता होना ज़रूरी है।

बुजुर्ग/विकलांग व्यक्तियों या कार्यालय आने में समस्या का सामना कर रहे व्यक्तियों के लिए, इंटरव्यू टेलीफ़ोन पर, पूर्व-निर्धारित घर पर की जाने वाली मुलाकात, या कार्यालय में की जाने वाली मुलाकात के जरिए पूरा किया जा सकता है। इंटरव्यू के बारे में जानने के लिए अपने स्थानीय काउंटी कार्यालय से संपर्क करें।

इंटरव्यू में क्या होता है?

केसवर्कर आपसे आपके परिवार की आय, संसाधनों, किराए या बंधक और उपयोगिता खर्चों के बारे में प्रश्न पूछेगा/गी। कुछ परिवारों से चिकित्सा खर्च, बच्चों की देखभाल और बच्चों के भरण-पोषण संबंधी खर्चों के बारे में भी पूछा जा सकता है। आपके परिवार की स्थिति का प्रमाण दिया जाना आवश्यक है, इसलिए अगर आपके पास निम्नलिखित जानकारी है, तो आप उसे अपने साथ ला सकते हैं:

- ❖ आपकी पहचान का प्रमाण
- ❖ आपकी नागरिकता का प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण पत्र, अमेरिकी पासपोर्ट, अस्पताल रिकॉर्ड आदि।
- ❖ लाभों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए आव्रजन दस्तावेज़, जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं
- ❖ लाभों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा संख्या
- ❖ प्रत्येक घरेलू सदस्य की आय का प्रमाण (चेक स्टब्स, सामाजिक सुरक्षा या वयोवृद्ध प्रशासन के लिए पुरस्कार पत्र, बेरोज़गारी संबंधी लाभ, परिवार या दोस्तों से योगदान, बच्चे के भरण-पोषण की सहायता, आदि)
- ❖ पिछले महीने की किराये की रसीद या बंधक भुगतान पुस्तिका
- ❖ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों और/या विकलांग व्यक्तियों के लिए चिकित्सा बिल
- ❖ उन बच्चों के लिए बच्चे की देखभाल की रसीदें जिनके माता-पिता काम कर रहे हैं, स्कूल में हैं, या प्रशिक्षण ले रहे हैं
- ❖ आपकी स्थिति के आधार पर अतिरिक्त जानकारी और प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है।

अगर आपके पास पहली बार आवेदन करते समय सारी जानकारी नहीं है, तो आपको आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए इंटरव्यू की तारीख से 10 दिन का समय दिया जाता है।

यह इंटरव्यू घर की परिस्थितियों के बारे में एक आधिकारिक और गोपनीय चर्चा है। इंटरव्यू लेने वाले का केवल जानकारी को इकट्ठा करना और उसकी समीक्षा करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि अस्पष्ट या अपूर्ण जानकारी का अन्वेषण और समाधान भी करना होगा।

अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति हमें सामाजिक सुरक्षा संख्या या आव्रजन स्थिति या नागरिकता के बारे में जानकारी नहीं देना चाहता है, तो वह व्यक्ति SNAP लाभों के लिए पात्र नहीं होगा। परिवार के अन्य सदस्य अभी भी लाभों के लिए पात्र हो सकते हैं।

किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक सुरक्षा संख्या या आव्रजन स्थिति न देने का विकल्प चुनने पर उसकी रिपोर्ट होमलैंड

सुरक्षा विभाग, संयुक्त राज्य नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं को नहीं दी जाती है।

क्या आप योग्य हैं?

आप SNAP लाभों को पाने के योग्य हो सकते हैं अगर:

- आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं या आपके पास एक निश्चित कानूनी विदेशी स्थिति है
- आप परिवार की स्थिति के प्रमाण के रूप में सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करते हैं
- आप और/या परिवार के अन्य सदस्य कार्य संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं
- परिवार की मासिक आय परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं होती है
- किराया या बंधक भुगतान, उपयोगिता बिल, और कुछ मामलों में चिकित्सा, बच्चे की देखभाल और बच्चे के भरण-पोषण के लिए सहायता खर्चों को पात्रता निर्धारण प्रक्रिया में माना जाता है, अगर इन खर्चों का प्रमाण प्रदान किया जाता है।

SNAP लाभ प्राप्त करने में कितना समय लगता है?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी होनी ज़रूरी है तथा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर लाभ उपलब्ध होना ज़रूरी है। अगर आपके परिवार की आय बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है और वह विशिष्ट मानदंडों को पूरा करता है, तो आवेदन पर कार्रवाई की जानी और 7 दिनों के भीतर लाभ उपलब्ध कराया जाना ज़रूरी है। प्रत्येक परिवार को एक नोटिस भेजा जाता है जिसमें बताया जाता है कि क्या वह परिवार SNAP लाभों को पाने योग्य है। अगर वह योग्य पाया जाता है, तो नोटिस में यह बताया जाता है कि परिवार को कितनी राशि के लाभ मिलेंगे तथा पुनः आवेदन करने से पहले परिवार को कितने समय तक लाभ मिलते रहेंगे।

आपको कितना मिलेगा?

आपके परिवार को मिलने वाले लाभों की राशि आपके SNAP परिवार में व्यक्तियों की संख्या, परिवार की आय की राशि और बजट प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली कटौतियों की मात्रा पर निर्भर करती है। आवेदन की तारीख पहले महीने में परिवार को मिलने वाले लाभों की राशि को प्रभावित करती है। जब तक आपका परिवार योग्य बना रहता है, तब तक हर महीने लाभ प्रदान किए जाते रहेंगे। आपके EBT खाते में शेष लाभ तब तक प्राप्त किए जा सकते हैं जब तक कि उनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो जाता, भले ही आपका SNAP केस बंद हो जाए।

ध्यान दें: अगर 9 महीने के बाद परिवार द्वारा EBT कार्ड पर कोई गतिविधि नहीं की जाती है, तो शेष लाभ एक-एक महीने करके खाते से हटा दिए जाएंगे। परिवार द्वारा शुरू की गई कोई भी गतिविधि (डेबिट या क्रेडिट) लाभ हटाने की प्रक्रिया को अगले 9 महीनों तक निष्क्रियता को रोक देगी।

आपको SNAP लाभ कितने समय तक मिलते हैं?

अगर योग्य होते हैं, तो आपका परिवार पुनः आवेदन करने से पहले एक महीने से लेकर तीन वर्ष तक SNAP प्राप्त कर सकता है। प्रमाणन अवधि के अंतिम महीने में, आपके परिवार को DFCS से नवीनीकरण अनुस्मारक नोटिस प्राप्त होगा। पत्र में बताया जाता है कि आपकी प्रमाणन अवधि समाप्त होने वाली है और आपके परिवार को पुनः आवेदन करना होगा।

अगर आप इस पत्र का जवाब समय पर देते हैं, तो आपको लाभ मिलना जारी रहेंगे, बशर्ते आप नवीनीकरण प्रक्रिया का अनुपालन करें और आपका परिवार अभी भी इन्हें पाने योग्य है। अगर आप नवीनीकरण प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करते हैं या अगर आपके परिवार को नवीनीकरण के समय आगे लाभों को दिया जाना जारी रखने के लिए अयोग्य पाया जाता है तो आपके लाभ बंद कर दिए जाएंगे। नवीनीकरण प्रक्रिया में नवीनीकरण आवेदन-पत्र सबमिट करना, अगर आवश्यक हो तो इंटरव्यू आयोजित करना और समय पर आवश्यक सत्यापन प्रदान करना शामिल है।

आपको SNAP लाभ कैसे जारी किये जाते हैं ?

एक इलेक्ट्रिक लाभ हस्तांतरण (EBT) कार्ड और व्यक्तिगत पहचान संख्या (PIN) का उपयोग करके लाभ जारी किए जाते हैं।

अगर आप लाभों को पाने योग्य हैं और परिवार के मुखिया के रूप में आपने कभी प्राप्त नहीं किया है तो आपको एक EBT कार्ड भेजा जाएगा। परिवार भोज्य पदार्थ खरीदने के लिए अधिकृत दुकानों में EBT कार्ड का उपयोग करता है। जब चेकआउट काउंटर पर खाद्य लाभ खरीद की कुल राशि निर्धारित हो जाती है, तो आप अपने EBT कार्ड को बिक्री केन्द्र डिवाइस पर स्वाइप करते हैं और अपना पिन नंबर दर्ज करते हैं। खरीदारी की राशि आपकी कुल मासिक आबंटन राशि में से काट ली जाती है।

परिवार को लाभ कब उपलब्ध होंगे?

प्रत्येक महीने की 5 तारीख से 23 तारीख तक लाभ EBT खाते में जमा कर दिए जाते हैं। अपने लाभों का इस्तेमाल करने के लिए, आपको अपने EBT कार्ड और PIN की आवश्यकता होगी। अगर आपका EBT कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है या आप अपना पिन भूल गए हैं, तो EBT ग्राहक सेवा हेल्पलाइन को 1-888-421-3281 पर कॉल करें। आपका खोया या चोरी हुआ कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। आपके परिवार को एक नया EBT कार्ड और/या PIN जारी किया जाएगा। अपने EBT खाते के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने के लिए www.ebt.acs-inc.com पर लॉग-ऑन करें।

अपने कार्ड नंबर और व्यक्तिगत पहचान संख्या (PIN) का उपयोग करके आप यह कर सकते हैं:

- अपने चालू खाते की शेष राशि की जाँच करना
- अपने लेन-देन इतिहास की समीक्षा करना
- अपना PIN बदलना
- ग्राहक सेवा से संपर्क करना

अपनी जानकारी तक पहुंचने के लिए आपके पास अपना कार्ड नंबर होना ज़रूरी है। अपने EBT कार्ड और पिन को सुरक्षित स्थान पर रखना याद रखें। अगर किसी को आपका EBT कार्ड और PIN मिल जाता है, तो वह व्यक्ति आपके लाभों का इस्तेमाल कर सकता है। आपके EBT खाते से लिए गए लाभों को DFCS द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है।

आप SNAP लाभ कहां खर्च कर सकते हैं?

संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (USDA), खाद्य एवं पोषण सेवाओं (FNS) द्वारा अधिकृत भोज्य पदार्थों के भंडार भोज्य पदार्थों की खरीद के लिए EBT लेनदेन स्वीकार कर सकते हैं। अधिकांश दुकानों पर यह दर्शाने के लिए संकेत लगाए जाते हैं कि SNAP लाभों का उपयोग भोज्य पदार्थों को खरीदने के लिए किया जा सकता है।

SNAP लाभ से क्या खरीदा जाता है?

लाभों का उपयोग केवल आपके परिवार के खाने के लिए भोज्य पदार्थों तथा भोजन उगाने वाले पौधे या बीज खरीदने के लिए किया जा सकता है। कुछ खाद्य पूरक जैसे कि एनशोर को SNAP लाभों के साथ खरीदा जा सकता है। बर्फ, पानी, तथा ठंडे या कमरे के तापमान पर रखे जाने वाले भोज्य पदार्थ, जो स्टोर में उपभोग करने के लिए नहीं बनाए गये हैं, उन्हें SNAP लाभों के साथ खरीदा जा सकता है।

SNAP लाभों से क्या नहीं खरीदा जाता है?

SNAP लाभों का उपयोग मादक पेय, सिगरेट या तंबाकू, घरेलू सामान जैसे साबुन और कागज उत्पाद, दवाएं, विटामिन, पालतू पशु आहार या कोई भी गैर-खाद्य वस्तु खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता है।

आपके अधिकार क्या हैं?

आपको इनके लिए अधिकार है:

- जिस दिन आप आवेदन मांगें उसी दिन आवेदन-पत्र प्राप्त करना।
- अगर आपको अंग्रेजी भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने या समझने में परेशानी होती है, तो इस फॉर्म को भरने में सहायता का अनुरोध करना और मुफ्त भाषा सहायता सेवाएं (दुभाषिए, अनुवादित विषय-सामग्री, या सीधे भाषा में सेवाएं) प्राप्त करना।
- अगर आप या आपके परिवार में कोई विकलांग है तो सहायक उपकरणों और सेवाओं और उचित संशोधनों का अनुरोध करना।
- जब आप आवेदन-पत्र दायर करें तो आपका आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाना।
- अगर आप DFCS कार्यालय नहीं जा सकते हैं तो अपने परिवार के किसी बालिग व्यक्ति को आवेदन करने के लिए कहना।
- अगर आप 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं या विकलांग हैं और आपके लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो घर पर जाकर या टेलीफोन पर इंटरव्यू लिया जाना।
- अगर आप योग्य पाए जाते हैं, तो आवेदन दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आपको अपना EBT कार्ड और PIN प्राप्त हो जाना, या
- अगर आप शीघ्र प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पाने के योग्य हैं, तो आपको अपना EBT कार्ड, व्यक्तिगत पहचान संख्या (PIN) और लाभआवेदन-पत्र की तारीख से 7^{वें} दिन पर उपलब्ध करवाया जाना।
- उम्र, लिंग, जाति, रंग, विकलांगता, धार्मिक पंथ, राष्ट्रीय मूल या राजनीतिक आस्थाओं की परवाह किए बिना निष्पक्ष व्यवहार प्राप्त करना।
- अगर आप अपने केस पर की गई किसी कार्रवाई से असहमत हैं तो निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होना।
- अपनी केस फाइल और प्रोग्राम के नियमों की जांच करना।
- अगर किसी परिवर्तन के कारण आपके लाभ कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, जिसकी लिखित सूचना नहीं दी गई है, तो आपको पहले से सूचित किया जाना।

आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं ?

- आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा।
- आपको अपने हस्ताक्षर करके यह प्रमाणित करना होगा कि सभी उत्तर सत्य हैं।
- आपको यह प्रमाण देना होगा कि आप लाभ को प्राप्त करने योग्य हैं।
- अपने SNAP लाभों को न बेचना, न व्यापार करना, न ही किसी को देना।
- केवल पात्र वस्तुएं खरीदने के लिए SNAP लाभों का उपयोग करना।

लाभों को प्राप्त करते समय आपके परिवार को किन परिवर्तनों की रिपोर्ट करनी ज़रूरी होती है?

परिवारों के लिए सरलीकृत बनाई गई रिपोर्टिंग - जॉर्जिया में सभी SNAP परिवारों के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएं सरलीकृत बनाई गई हैं।

- इसका अर्थ यह है कि आपको तब रिपोर्ट करना होगा जब आपके परिवार की कुल मासिक सकल आय आपके परिवार के आकार के लिए संघीय गरीबी स्तर के 130% से अधिक हो।
- अगर आप 18-54 वर्ष की आयु के बालिग व्यक्ति हैं और आपके कोई बच्चे नहीं हैं, तो आपको अपने काम के घंटों के सप्ताह में 20 घंटे से कम होने पर, औसतन 80 घंटे प्रति माह होने पर, उस माह के अंत से 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट करना होगा जिसमें परिवर्तन हुआ था।
- जब आपके परिवार को लॉटरी और जुए में बड़ी मात्रा में जीत प्राप्त होती है, तो आपको उसकी रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। यह किसी एक गेम में जीता जाने वाला नकद पुरस्कार है। अगर आपको या परिवार के किसी सदस्य को लॉटरी या जुए में जीत हुई है, तो कुल \$4500 या उससे अधिक की राशि (टैक्स या अन्य कटौतियाँ रोके जाने से पहले), आपको उस महीने के अंत से 10 दिनों के भीतर इस जीत की रिपोर्ट करनी होगी जिसमें परिवार को जीत हुई है।

आपका केसवर्कर आपको इस आवश्यकता के बारे में समझाएगा। आप 1-877-423-4746 पर कॉल करके या <https://gateway.ga.gov/access/> पर DFCS कॉल सेंटर में परिवर्तनों की रिपोर्ट कर सकते हैं।

नियम तोड़ने पर कौन से जुर्माने लगाए जाते हैं?

जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान करने के लिए आप अपने लाभ खो सकते हैं या आप पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।

- आपके परिवार को जो लाभ नहीं मिलना चाहिए, उसे पाने के लिए झूठी जानकारी न दें या जानकारी न छिपाएँ।
- ऐसे SNAP लाभ या EBT कार्ड का उपयोग न करें जो आपके नहीं हैं और किसी अन्य को अपना कार्ड का उपयोग न करने दें।
- फूड स्टैम्प (SNAP) लाभों का उपयोग गैर-खाद्य वस्तुओं जैसे शराब या सिगरेट खरीदने या क्रेडिट कार्ड के भुगतान करने के लिए न करें।
- अवैध वस्तुओं, जैसे आग्नेयास्त्रों, गोला-बारूद, या नियंत्रित पदार्थ (अवैध नशीले पदार्थ) के लिए फूड स्टैम्प (SNAP) या EBT कार्ड का व्यापार या बिक्री न करें।

अगर परिवार का कोई सदस्य जानबूझकर **SNAP** के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, तो उन्हें एक साल से लेकर स्थायी रूप से **SNAP** से प्रतिबंधित किया जा सकता है, **\$250,000** तक का जुर्माना लगाया जा

सकता है, 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, या दोनों सजाएँ हो सकती हैं।" उस पर अन्य लागू होने वाले संघीय और राज्य कानूनों के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर न्यायालय आदेश दे तो उसे अतिरिक्त 18 महीने के लिए **SNAP** से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।

परिवार का कोई भी सदस्य जो जानबूझकर नियम तोड़ता है, उसे पहले अपराध के लिए एक साल, दूसरे अपराध के लिए दो साल और तीसरे अपराध के लिए स्थायी रूप से फूड स्टैम्प (**SNAP**) नहीं मिल सकता है।

अगर कोई अदालत आपको या परिवार के किसी सदस्य को नियंत्रित पदार्थ की बिक्री से जुड़े लेन-देन में लाभों का उपयोग करने या प्राप्त करने के लिए दोषी पाती है, तो आप या परिवार का वह सदस्य पहले अपराध के लिए दो साल और दूसरे अपराध के लिए स्थायी रूप से लाभों को पाने के योग्य नहीं होंगे।

अगर कोई अदालत आपको या परिवार के किसी सदस्य को आग्नेयास्त्रों, गोला-बारूद, या विस्फोटकों की बिक्री के लिए लाभों का उपयोग करने या प्राप्त करने के लिए दोषी पाती है, तो आप या परिवार का वह सदस्य इस उल्लंघन के पहले अपराध पर फूड स्टैम्प (**SNAP**) प्रोग्राम में भाग लेने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाएंगे।

अगर कोई न्यायालय आपको या परिवार के किसी सदस्य को \$500 या उससे अधिक की कुल राशि के लिए लाभों का अवैध व्यापार करने का दोषी पाता है, तो आप या परिवार का वह सदस्य इस उल्लंघन के पहले अपराध पर फूड स्टैम्प (**SNAP**) प्रोग्राम में भाग लेने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाएंगे।

अगर आप या परिवार के किसी सदस्य ने कई फूड स्टैम्प (**SNAP**) लाभ प्राप्त करने के लिए पहचान (वे कौन हैं) या निवास स्थान (जहाँ वे रहते हैं) के संबंध में एक कपटपूर्ण बयान या प्रतिनिधित्व किया है, तो आप या वह परिवार सदस्य 10 वर्ष की अवधि के लिए फूड स्टैम्प (**SNAP**) प्रोग्राम में भाग लेने के लिए अयोग्य हो जाएंगे।

ADA / धारा 504 अधिकारों का नोटिस

विकलांग लोगों के लिए सहायता

जॉर्जिया के मानव सेवाओं के विभाग ("विभाग") को संघीय कानून* के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को विभाग के प्रोग्रामों, सेवाओं या गतिविधियों में भाग लेने और योग्य होने का समान अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। इसमें SNAP, TANF और चिकित्सा सहायता जैसे प्रोग्राम शामिल हैं।

विभाग आवश्यकतानुसार विकलांगता के आधार पर भेदभाव करने से बचने के लिए उचित समायोजन प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, हम समान पहुंच प्रदान करने के लिए नीतियों, प्रथाओं या प्रक्रियाओं को बदल सकते हैं। समान रूप से प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए, हम विकलांग व्यक्तियों या उनके विकलांग साथियों को संचार सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि सांकेतिक भाषा के दुभाषिए। हमारी सहायता मुफ्त दी जाती है। विभाग को किसी भी ऐसे समायोजन को करने की आवश्यकता नहीं है जो सेवा, प्रोग्राम या गतिविधि की प्रकृति में मौलिक परिवर्तन लाए या अत्यधिक वित्तीय और प्रशासनिक बोझ उत्पन्न करे।

उचित समायोजन या संचार सहायता का अनुरोध कैसे करें

अगर आप विकलांग हैं और उचित समायोजन, संचार सहायता, या अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अपने केस वर्कर से संपर्क करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको प्रभावी संचार के लिए किसी सहायता या सेवा की आवश्यकता है, जैसे सांकेतिक भाषा दुभाषिया। आप अपने केस वर्कर से संपर्क कर सकते हैं या DFCS को (877) 423-4746 पर कॉल करके अपना अनुरोध कर सकते हैं। आप अपना अनुरोध DFCS ADA उचित समायोजन अनुरोध फॉर्म का उपयोग करके भी कर सकते हैं, जो आपके स्थानीय DFCS कार्यालय में या ऑनलाइन <https://dfcs.georgia.gov/adasection-504-and-civil-rights> पर उपलब्ध है, लेकिन आपको अनुरोध करने के लिए फॉर्म का उपयोग करना आवश्यक नहीं है।

शिकायत कैसे दर्ज करें

अगर विभाग ने आपके साथ आपकी विकलांगता के कारण भेदभाव किया है, तो आपको शिकायत करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक उचित समायोजन या सांकेतिक भाषा दुभाषिया प्रदान किए जाने के लिए कहा है जिसे अस्वीकार कर दिया गया है या उचित समय के भीतर कार्रवाई नहीं की गई है, तो आप भेदभाव की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत मौखिक रूप से या लिखित रूप में अपने केस वर्कर, अपने स्थानीय DFCS कार्यालय, या DFCS नागरिक अधिकार, ADA/Section 504 समन्वयक से संपर्क करके दर्ज कर सकते हैं, पता: 47 Trinity Avenue, SW, Atlanta, GA 30334, (877) 423-4746।

आप अपने केस वर्कर से DFCS नागरिक अधिकार शिकायत फॉर्म की एक कॉपी मांग सकते हैं। शिकायत फॉर्म <https://dfcs.georgia.gov/adasection-504-and-civil-rights> पर भी उपलब्ध है। अगर आपको भेदभाव की शिकायत करने में मदद की आवश्यकता है, तो आप ऊपर सूचीबद्ध किसी भी DFCS कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बहरे हैं या सुनने में कठिनाई होती है या जिन्हें बोलने में अक्षमता हो सकती है, वे हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऑपरेटर के लिए 711 पर कॉल कर सकते हैं।

आप उपयुक्त संघीय एजेंसी के साथ भेदभाव की शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। यू.एस. कृषि विभाग (USDA) और यू.एस. स्वास्थ्य और मानव सेवाओं के विभाग (HHS) की संपर्क जानकारी 'भेदभाव न करने वाले बयान' में दी गई है।

*1973 के पुनर्वास अधिनियम की धारा 504; 1990 के अमेरिकी विकलांग अधिनियम; और 2008 के विकलांग अमेरिकी अधिनियम संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि विकलांग व्यक्ति गैरकानूनी भेदभाव से मुक्त रहें।

USDA के पास आवेदन न भेजें

गैर-उत्पीडन संबंधी कथन

संघीय नागरिक अधिकार कानूनों के अनुसार और यू.एस. कृषि विभाग (USDA) के नागरिक अधिकार विनियमों और नीतियों के अनुसार, इस संस्था को जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग (लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास सहित), धार्मिक पंथ, विकलांगता, आयु, राजनीतिक विश्वास, या पूर्व नागरिक अधिकार गतिविधि के लिए प्रतिशोध या प्रतिशोध के आधार पर भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

प्रोग्राम की जानकारी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जा सकती है। विकलांग व्यक्ति जिन्हें प्रोग्राम की जानकारी के लिए संचार के वैकल्पिक साधनों की आवश्यकता होती है (जैसे, ब्रेल, बड़े प्रिंट, ऑडियो टेप, अमेरिकी सांकेतिक भाषा), उन्हें उस एजेंसी (राज्य या स्थानीय) से संपर्क करना चाहिए जहां उन्होंने लाभों के लिए आवेदन किया था। ऐसे व्यक्ति जो बधिर हैं, सुनने में कठिनाई है या जिन्हें बोलने में अक्षमता है, वे फेडरल रिले सेवा के जरिए (800) 877-8339 पर USDA से संपर्क कर सकते हैं।

प्रोग्राम संबंधी भेदभाव की शिकायत दर्ज करने के लिए, शिकायतकर्ता को फॉर्म AD-3027, USDA प्रोग्राम भेदभाव शिकायत फॉर्म भरना चाहिए, जिसे ऑनलाइन:

<https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027.pdf>, किसी भी USDA कार्यालय से, (833) 620-1071 पर कॉल करके, या USDA को संबोधित एक पत्र लिखकर प्राप्त किया जा सकता है। पत्र में शिकायतकर्ता का नाम, पता, टेलीफोन नंबर तथा कथित भेदभावपूर्ण कार्रवाई का लिखित विवरण पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए, ताकि नागरिक अधिकार सहायक सचिव (ASCR) को कथित नागरिक अधिकार उल्लंघन की प्रकृति और तारीख के बारे में सूचित किया जा सके। पूर्ण रूप से भरा गया AD-3027 फॉर्म या पत्र निम्नलिखित पते पर सबमिट किया जाना ज़रूरी है:

1. डाक:
Food and Nutrition Service, USDA
1320 Braddock Place, Room 334
Alexandria, VA 22314; या
2. फ़ैक्स:
(833) 256-1665 या (202) 690-7442; या
3. ईमेल:
FNCSIVILRIGHTSCOMPLAINTS@usda.gov

यह संस्थान समान अवसर प्रदाता है।

मानव सेवा विभाग (**DHS**) के तहत, आप अपने स्थानीय DFCS कार्यालय, या DFCS नागरिक अधिकार और ADA/धारा 504 समन्वयक से Georgia Department of Human Services, Office of General Counsel, 47 Trinity Avenue SW, 30334 1st Floor, Atlanta, GA (877) 423-4746 पर संपर्क करके भी भेदभाव की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सीमित अंग्रेजी दक्षता के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाने वाली शिकायतों के लिए, DHS सीमित अंग्रेजी दक्षता और संवेदी क्षीणता प्रोग्राम से संपर्क करें: Georgia Department of Human Services, Office of General Counsel, 47 Trinity Avenue SW, Atlanta, GA 30334, (877) 423-4746.

USDA के पास आवेदन न भेजें